9

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र0 निग0 92-III-15 /2015

श्री. ... द्वारा आज दिनांक 31-12-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

862
31-12-14

पन्नालाल महापात्र उम्र 69 वर्ष तनय स्व0 कुबेरराम महापात्र, पेशा कृषि, निवासी ग्राम पड़री, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

बनाम

1— रमई कोल उम्र लगभग 60 वर्ष तनय भूपति कोल,

2— गंगादीन कोल उम्र लगभग 60 वर्ष तनय स्व0 फत्ता कोल,

3— जमुना कोल उम्र लगभग 58ो तनय स्व0 फत्ता कोल,

उपरोक्त सभी निवासी ग्राम पड़री, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

4— शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 4222 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
... ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

———गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0) के द्वारा राजस्व प्रकरण क्र0— 7—अ/12/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 26/06/2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

<u>प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य निम्नलिखित है :—</u>

क— यह कि भूमि खसरा क्र0—292/1 रकवा 0.80 ए0 यानी 0.324 हे0 स्थित ग्राम पड़री, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 का स्वत्व,

(पन्नालाल शर्मा)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R..92/III/15..... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	पन्नालाल कार्यवाही तथा आदेश मेदीलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.9.15	आवेदक अभि० श्री मृत्युंजय प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु नक्शा तरमीम एवं सीमांकन से संबंधित है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम पड़री की भूमि क्र० 292/1 का स्वामित्व एवं आधिपत्य धारी आवेदक है एवं भूमि क्र० 20/2 एवं भू०नं० 289 तथा भूमि खसरा क्रमांक-291/1 का भूमि स्वामी अनावेदक क्र० 1 है तथा भूमि खसरा क्र० 288, 291/2 एवं 292/2 के स्वत्वधारी अनावेदक क्रमांक 2 व 3 है। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अना० क्र० 2 व 3 के पिता स्व० फत्ता कोल के द्वारा अपनी भूमियों के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सीमांकन एवं नक्शा तरमीम का प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया। उक्त नक्शा तरमीम प्रस्ताव के विरुद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 22.6.12 को आपत्ति पेश तहसीलदार के समक्ष की गई, इसी बीच अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी उपरोक्त वर्णित भूमियों का सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिना सूचना दिए तथा बिना बताये एक पक्षीय सीमांकन की कार्यवाही की गई जो विधि विरुद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।	

[कृ. प. उ.

R. 92/III/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उक्त सीमांकन कार्यवाही को राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26-6-14 को बिना आवेदक को सुने तथा बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया। आवेदक अभि० द्वारा बताया गया कि विवादित भूमियों का बटवारा हो गया है किन्तु मौके पर नक्शे मे बटांकन की तरमीम न होने से बिना तरमीम के सीमांकन की कार्यवाही एक पक्षीय एवं दूषित होने से निरस्ती योग्य है। यह भी बताया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दी जाना चाहिये थी जो नहीं दी गई। इसके अति० यही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हे पुनरांकित न कर विचार में लिया जा रहा है। उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य मे निगरानी मेमो के साथ सीमांकन प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से आवेदक अधि० द्वारा प्रस्तुत तर्कों की पुष्टि होती है। अभिलेख अवलोकन से आवेदक को न तो सूचना पत्र जारी होना पाया गया और न ही पंचनामा पर आवेदक के हस्ताक्षर ही पाये गये। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि राजस्व नि० द्वारा संहिता की धारा 129 मे निहित सीमांकन नियमों का पालन कर सीमांकन कार्यवाही नहीं की गई है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है राजस्व निरीक्षक तह० सिरमौर का सीमांकन आदेश दिनांक 26-6-14 निरस्त किया जाता है तथा यह निर्देश दिये जाते है कि आवश्यक एवं हितबद्ध आवश्यक पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी कर उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही तीन माह मे विधिवत संहिता की धारा 129 मे वर्णित प्रावधानों के प्रकाश मे करें। यदि नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जाना	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-92/II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है तो उसे भी समय सीमा में आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में उनके समक्ष संपादित कर हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में पूर्ण कर सीमांकन की कार्यवाही करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। (हस्ताक्षर) (सदस्य)	